न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 45/2019-20

सावित्री देवी पति श्री संजय महतो – अपीलकर्त्ता
ग्राम–बिरहू, पतराटोली, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
15.09.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1594R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
बिरहू	खूँटी 239	53	2196	0.05

अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा–बिरहू, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.05 एकड़ है को श्री गनपत राम पिता स्व0 बुधराम महतो उर्फ बुधू महतो ग्राम–बिरहू, थाना–खूँटी से विक्रय पट्टा सं0 129/127 दिनांक 24.04.2018 से क्रय किया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 1594R27/18-19 पड़ा।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार Deed Docoment upload नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने नामांतरण मुकादमा संख्या 166R27/18-19 में Deed Docoment upload करते हुए पुनः आवेदन देने को कहा गया एवं नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु पुनः आवेदन किया गया जिसका नामांतरण मुकादमा संख्या 1594R27/18-19 पड़ा अंचल अधिकारी, खूँटी ने यह कहते हुए नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया कि आवेदित भूमि का नामांतरण वाद पूर्व में निष्पादित है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजात एवं अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया एवं पाया कि अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा नामांतरण मुकादमा संख्या 166R27/18-19 में पारित आदेश के आलोक में आवेदक से पुनः Deed Docoment upload कराकर नामांतरण किया जाना चाहिए था। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही करते हुए पुनः आवेदन देने पर नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया। अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से Deed Docoment upload कराकर दाखिल खारिज करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय साथ ही आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि पुनः पूर्ण दस्तावेज upload करते हुए दाखिल खारिज हेतु आवेदन करे।

लेखापित एवं संशोधित

15/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

15/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।